

# डिक्की मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपाखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)  
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. धोलू राम पुत्र मामराज जाति बलाई निवासी दरीबा तहसील नीमकाथाना, सीकर राज.।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

शबा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 797-सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम दरीबा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 239 में वादी का गलत दर्ज नाम "रामकुमार पुत्र मामराज" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम " धोलू राम पुत्र मामराज" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुयल्लिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसवो सालाना आज वो तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत

ओहदा

राजवीर सिंह यादव  
उपाखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील		महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय		बाबत इजराय		
हुक्मनामा		हुक्मनामा		
मुतफरिक		मुतफरिक		
मीजान		मीजान		

खर्चा के फाय पर कुल खर्चा हर वो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. धोलूराग पुत्र मामराज जाति बलाई निवासी दरीबा तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज.।

— वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 797/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1530


आदेश

दिनांक-3/12/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम दरीबा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 239 में वादी का गलत दर्ज नाम "रामकुवार पुत्र मामराज" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम " धोलू राम पुत्र मामराज" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)